पत्र सं0/एण्टी प्रोफिटियरिंग/2019–20/ 287 / वाणिज्य कर

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(एण्टी प्रोफिटियरिंग)
लखनऊः: दिनांक–10 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 20~~19~~20

–: आदेश :–

उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क0नि0– 2 – 1404/ग्यारह – 09 (109)/17–उ0 प्र0 अधि0– 1 – 2017 – आदेश (46) –2017, दिनांक–26.09.2017 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उ0प्र0 माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करते हैं जिसे उ0प्र0 मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति के रूप में जाना जाएगा। उक्त समिति में निम्नलिखित होंगे–

(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी, और
(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला, केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी।

उपरोक्त के क्रम में अवर सचिव (एस.टी.–1) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के पत्र सं0–S-31013/1/2019-ST-1DOR, दिनांक–22.11.2019 के क्रम में स्कीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में निम्न अधिकारी को उ0प्र0 मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति में क्रमांक (क) पर एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर/राज्य कर, उ0प्र0 को नामित किया जाता है।

ह0

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर/राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ

पृ0प0सं0 व दिनांकः– उक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– चीफ कमिश्नर, जी0एस0टी0 तथा सेन्ट्रल एक्साईज, लखनऊ जोन, लखनऊ।
3– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4– ज्वाइण्ट कमिश्नर (एण्टी प्रोफिटियरिंग), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
5– ज्वाइण्ट कमिश्नर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0/विधि)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ